

कम्प्यूटर परिक्रम संख्या 1415002 दि 4-4-14

पत्र सं०-स०द०-25क गेहूँ जाँच /2014-15 / 09

/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश  
(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ ::दिनांक :: अप्रैल 04 2014

समस्त

जोनल एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर /

एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

**विषय :- रवि विपणन वर्ष 2014-15 में प्रदेश से प्रदेश के बाहर जाने वाले गेहूँ से होने वाले वाणिज्य कर हानि के सम्बन्ध में।**

आप अवगत हैं कि रवि सीजन वर्ष 2014-15 प्रारम्भ हो गया है। विगत में आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि अपने जोन में स्थित प्रवर्तन इकाइयों / कर निर्धारण अधिकारियों से गेहूँ पर मिलने वाले वाणिज्य कर की शत-प्रतिशत प्राप्ति हो सके, इस दिशा में ठोस एवं सार्थक कार्यवाही सुनिश्चित करायें। गतवर्ष इस दिशा में की गयी कार्यवाही परिणाममूलक नहीं पायी गयी है।

आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग, उ० प्र० द्वारा यह अवगत कराया गया है कि दि० 01-04-2014 से गेहूँ की खरीद प्रारम्भ हो रही है। उनके द्वारा भी गतवर्ष के अनुभव के आधार पर विभिन्न कारणों से प्रदेश का गेहूँ अन्य राज्यों में कृषकों / व्यापारी द्वारा प्रेषित किया जाना पाया गया है जिससे गेहूँ की खरीद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा इसपर मिलने वाले मण्डी शुल्क तथा वाणिज्य कर की हानि उठानी पड़ती है। उनके द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि प्रदेश से बाहर जाने वाले गेहूँ से होने वाले राजस्व कर को बचाने हेतु समुचित व्यवस्था की जाये।

विगत में यह पाया गया है कि प्रदेश में गेहूँ पर वृहद-मात्रा में खासकर बहती की आड़ में करापवंचन किया गया है जिससे गेहूँ पर अपेक्षा के अनुरूप वाणिज्य कर के रूप में राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई है।

गेहूँ पर हो रहे करापवंचन को रोकने की दिशा में आपको निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-


सीजन वर्ष 2014-15 में अपने जोन की सीमा में गेहूँ का परिवहन करने वाले वाहनों की अधिक से अधिक जाँच कराया जाना सुनिश्चित करें। गेहूँ के शत प्रतिशत बिलों का संग्रहण कराते हुये उन्हें तत्काल आन लाइन फीड कराते हुये सत्यापन हेतु कर निर्धारण अधिकारियों को प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा ऐसे बिलों की फीडिंग के समय वस्तु का नाम Wheat अवश्य फीड किया जाये जिससे कर निर्धारण अधिकारी ऐसे बिलों को चिन्हित कर तत्काल इसका सत्यापन व्यापारियों के विवरणों से कर सकेंगे तथा अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काल सम्पादित करेंगे।

इसी प्रकार रेल मार्ग से परिवहित किये जा रहे गेहूँ की जाँच तथा मण्डियों में आने वाले गेहूँ एवं फ्लोर मिलों में आने वाले गेहूँ के संबंध में भी सूचना संकलन / जाँच कराया जाना आवश्यक है जिससे किसी भी प्रकार से गेहूँ पर होने वाले वाणिज्य कर अपवंचन की रोकथाम हो सके।

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये इस पत्र के पृष्ठभाग पर टंकित प्रारूप 1 से 4 के अनुसार बिना किसी विलम्ब के प्रारूप 1 की पाक्षिक सूचना सचलदल अनुभाग, मुख्यालय तथा प्रारूप 2, 3 व 4 की सूचना वि०अनु०शा० अनुभाग, मुख्यालय को प्रत्येक माह की 20 तारीख एवं 5 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

आपसे यह भी अपेक्षित है कि अधीनस्थ अधिकारियों को उपर्युक्त निर्देशों से अवगत कराते हुये इनका अनुपालन कठोरता से सुनिश्चित कराने के साथ-साथ अपने स्तर से की गयी कार्यवाही का नियमित अनुश्रवण करते हुये गेहूँ पर होने वाले करापवंचन को प्रत्येकदशा में रोकने हेतु सार्थक एवं परिणाममूलक कार्यवाही करायें।

**संलग्नक -निर्धारित प्रारूप पृष्ठ भाग पर।**

  
(मृत्युंजय कुमार नारायण)  
कमिश्नर, वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश।

पृ०प० सं० एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर, मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स०द०) वाणिज्य कर,  
मुख्यालय, लखनऊ।

